

| | | |
|-----------------------|---|---|
| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री राजेन्द्र पाल, पता 3, सी 10 न्यू हाउसिंग बोर्ड जिला पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रोहट प्रथम सूचना अपील संख्या :- 103/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/413 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>08.08.2024</p> | <p style="text-align: center;">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट से चाही गई थी परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा स्वयं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट का एक पत्र क्रमांक/भूअ./2022/1483 दिनांक 01.06.2022 प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलाण्ट को वांछित सूचना प्राप्त करने बाबत पत्र लिखा गया है 4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। 5. निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो। <p style="text-align: center;">(एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p> | |